

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय

(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर-495009 (छ.ग.)

दूरभाष : 07752-260209, फ़ैक्स : 07752-260154

ई-मेल : ggvr.registrar@gmail.com, वेबसाइट : www.ggu.ac.in



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)

Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)

Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154

E-Mail : ggvr.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 481/बै.प्र./स्था.स./2025

बिलासपुर, दिनांक : 21.05.2025

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण

All Hon'ble Members

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति,

Standing Committee of Academic Council

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

बिलासपुर (छ.ग.)

Bilaspur (C.G.)

विषय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 के कार्यवृत्त का प्रेषण।

Subject :- Dispatch of minutes of 209th meeting of Standing Committee of Academic Council dated 21-05-2025.

---0---

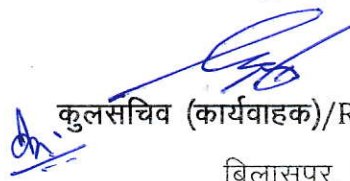
महोदय/महोदया,

Sir/Madam

विषयान्तर्गत, दिनांक 21.05.2025 को आयोजित विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक का कार्यवृत्त अवलोकनार्थ एवं अभिलेख हेतु संलग्न प्रेषित है।

Under the subject, the minutes of the 209th meeting of the Standing Committee of the Academic Council held on 21-05-2025 is enclosed for perusal and record.

आदेशानुसार/By order,

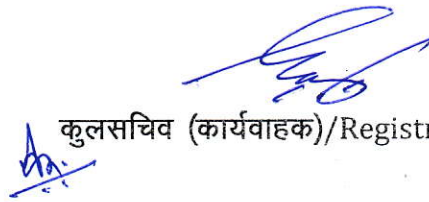

कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

पृ० क्रमांक 482/बै.प्र./स्था.स./2025

बिलासपुर, दिनांक : 21.05.2025

प्रतिलिपि/Copy to :-

01. कुलपति के सचिव की ओर माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।
The Secretary to the VC for the information of the HVC.
02. कुलसचिव के निज सहायक की ओर कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित।
The PA to the Registrar for information of the Registrar.
03. निदेशक, आईक्यूएसी/सहायक कुलसचिव-अकादमिक/प्रशासन/विकास/वित्त, प्रभारी विश्वविद्यालय वेब पटल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
Director, IQAC/Assistant Registrar - Academic/Administration/Development/Finance/Incharge University website for information and necessary action.
04. कार्यालय* प्रति।
Office Copy.


कुलसचिव (कार्यवाहक)/Registrar (Acting)

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 209वीं बैठक दिनांक 21.05.2025 को प्रातः 11.00 बजे प्रशासनिक भवन के सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक के प्रारम्भ में कुलसचिव (कार्यवाहक) ने सभी सदस्यों का स्वागत किया तत्पश्चात् कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक प्रारम्भ हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1.	प्रो० आलोक कुमार चक्रवाल, कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० शरद चन्द्र श्रीवास्तव, अधिष्ठाता/निदेशक-अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ	सदस्य
3.	प्रो० सीमा राय	सदस्य
4.	प्रो० राजेन्द्र मेहता	सदस्य
5.	प्रो० सी.एस. बझलवार	सदस्य
6.	प्रो० ब्रजेश तिवारी	सदस्य
7.	प्रो० एस.सी. तिवारी	सदस्य
8.	प्रो० एच.एस. तिवारी	सदस्य
9.	प्रो० प्रतिभा जे. मिश्रा, प्रभारी-अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	सदस्य
10.	प्रो० पी.पी. मूर्ति	सदस्य
11.	प्रो० सुधांशु रंजन मोहापात्रा	सदस्य
12.	डॉ० एम.एस. धपोला	सदस्य
13.	डॉ० सुबल दास	सदस्य
14.	डॉ० गीता मिश्रा	सदस्य
15.	प्रो० भारती अहिरवार, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-विकास	विशेष आमंत्रित सदस्य
16.	प्रो० शैलेन्द्र कुमार, अधिष्ठाता-छात्र कल्याण	विशेष आमंत्रित सदस्य
17.	डॉ० सम्पूर्णानन्द झा, परीक्षा नियंत्रक	विशेष आमंत्रित सदस्य
18.	प्रो० बुद्धेश्वर प्रसाद सिंघरौल, वित्ताधिकारी	विशेष आमंत्रित सदस्य
19.	प्रो० एम.एन. त्रिपाठी, समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020	विशेष आमंत्रित सदस्य
20.	डॉ० ए.के. शर्मा, ग्रंथपाल	विशेष आमंत्रित सदस्य
21.	प्रो० आर.के. चौबे, ओ.एस.डी. यांत्रिकी	विशेष आमंत्रित सदस्य
22.	डॉ० गणेश प्रसाद शुक्ला, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-भण्डार	विशेष आमंत्रित सदस्य
23.	श्री एच.एन. चौबे, कुलसचिव (कार्यवाहक)	सचिव

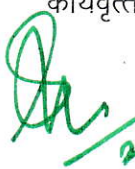
निम्नानुसार सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके :-

1. प्रो० बी.डी. मिश्रा
2. प्रो० संतोष कुमार प्रजापति
3. प्रो० अमित कुमार सक्सेना,
4. प्रो० मनीष श्रीवास्तव
5. प्रो० आलोक कुमार सिंह कुशवाहा

कुलपति महोदय ने बैठक के प्रारम्भ में व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरणादायी उद्बोधन दिया। इस प्रेरणादायी उद्बोधन के पश्चात् विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय क्र.01 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 14.05.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

निर्णय :- निर्णय लिया गया कि विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 14.05.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की जाय।


21/05/2025


21/05/2025

विषय क्र. 02 विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 14.05.2025 के पालन प्रतिवेदन का अवलोकन करना।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने स्थायी समिति की 208वीं बैठक दिनांक 14.05.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की एवं कृत कार्यवाही की पुष्टि की।

विषय क्र. 03. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Applied Forensic Research Sciences (AFRS), Indore, Madhya Pradesh के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं Applied Forensic Research Sciences (AFRS), Indore, Madhya Pradesh के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 04. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं आई. डिजिटल फोरेंसिक लैब, नई दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं आई. डिजिटल फोरेंसिक लैब, नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 05. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं National Research Development Corporation, An Enterprise of DSIR, Ministry of Science & Technology, GoI, New Delhi के बीच समझौता ज्ञापन पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं National Research Development Corporation, An Enterprise of DSIR, Ministry of Science & Technology, GoI, New Delhi के बीच प्रस्तावित समझौता ज्ञापन का अनुमोदन किया जाय।

विषय क्र. 06. विश्वविद्यालय में संचालित-पी.जी. स्तर के प्रोग्रामों में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2025-26 के लिये जारी दिशा-निर्देश की पुष्टि करने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि सीयूईटी पीजी प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 के लिए अकादमिक विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश क्रमांक 298/अका/2025 दिनांक 19.05.2025 की पुष्टि की जाय।

विषय क्र. 07. इतिहास विभाग द्वारा प्रस्तावित-02 सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि इतिहास विभाग द्वारा प्रस्तावित 02 सर्टिफिकेट कार्यक्रम (1) ज्योतिष में सर्टिफिकेट कार्यक्रम अवधि - 06 माह एवं (2) वास्तुशास्त्र एवं कर्मकाण्ड में सर्टिफिकेट कार्यक्रम अवधि - 06 माह के सर्टिफिकेट कार्यक्रम प्रारम्भ किये जाने का अनुमोदन किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपर्युक्त दोनों सर्टिफिकेट कार्यक्रमों में संबंधित छात्रों से रुपये 9,000/- शुल्क निर्धारित की जाय।


21/05/2025


21/05/2025

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण

अ.अ.वि.क्र .01 बी.ए. (ऑनर्स) इतिहास छठवें सेमेस्टर के प्रश्न पत्र History of Bharat (1885 to 1950) के प्रथम आंतरिक परीक्षा (First Internal Assessment) के 23 छात्र/छात्राओं की उत्तर पुस्तिकायें नहीं मिलने के कारण अंक निर्धारण करने के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति में उपस्थित सदस्यों ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि इतिहास विभाग के बी.ए. छठवें सेमेस्टर के 23 छात्र/छात्राओं के प्रश्नपत्र History of Bharat (1885 to 1950) के प्रथम आंतरिक मूल्यांकन के नम्बर अप्राप्त है। चूंकि दूसरे एवं तीसरे विषयों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उपलब्ध है, अतः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए दूसरे एवं तीसरे विषयों के आंतरिक मूल्यांकन में से प्राप्त अधिकतम अंक इन 23 छात्र/छात्राओं को प्रश्नपत्र History of Bharat (1885 to 1950) में प्रदाय किया जाय।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इतिहास विभाग के संबंधित अस्थायी शिक्षक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

अ.अ.वि.क्र .02 स्नातक स्तर के Six Apprenticeship Based Degree (ABDP) कार्यक्रमों के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :- विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों क्रमशः कॉमर्स, भौतिकी, जे.एम.सी., प्रबंध अध्ययन, सीएसआईटी एवं अंग्रेजी विभाग में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम यथा :- Bachelor in Business Operation, B.Sc. in Mechatronics, B.A. Electronic media and Film Making, B.B.A in Retail Management, B.Sc. in Computer Science and B.A. in Performing Arts सत्र 2025-26 से प्रारम्भ करने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने अपनी सैद्धांतिक सहमति प्रदान की।

उपरोक्त पाठ्यक्रमों के प्रारूप के मसौदे तैयार करने हेतु गठित समिति के समन्वयक को सलाह दी गई कि समिति से परामर्श उपरान्त उपरोक्त पाठ्यक्रमों हेतु विनियम प्रस्तुत करेंगे।

अ.अ.वि.क्र .03 भारतीय विश्वविद्यालय संघ से प्राप्त ई-मेल जिसमें भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित राज्य आतंकवाद एवं भारत के विरुद्ध विपरीत धारणा निर्माण में पाकिस्तान के सहयोगी देशों यथा- बंगलादेश, टर्की के कृत्यों के जवाब में राष्ट्रीय एकता की अपील के संबंध में विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने इस संबंध में अभिलेखों का अवलोकन किया। विश्वविद्यालय द्वारा अद्यतन 13 अंतरराष्ट्रीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों से समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जिनमें पाकिस्तान, बंगलादेश एवं टर्की से कोई भी समझौता ज्ञापन पर अद्यतन हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने आतंकवादी घटनाओं के संबंध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।

स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस संदर्भ में भारतीय विश्वविद्यालय संघ को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए पत्र प्रेषित की जाय।

अ.अ.वि.क्र .04 अर्थशास्त्र विभाग में एक अतिरिक्त शैक्षणिक पद प्रदान करने पर विचार।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया कि अर्थशास्त्र विभाग में वर्तमान शैक्षणिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल व्यवस्था हेतु भौतिकशास्त्र विभाग के एक सहायक प्राध्यापक (सामान्य) पद को अर्थशास्त्र विभाग में स्थानान्तरित किया जाय एवं विभिन्न विभागों हेतु नवीन पद सृजित करने के लंबित प्रस्तावों पर शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त अर्थशास्त्र विभाग में स्वीकृत होने वाले पदों में से सहायक प्राध्यापक का एक पद भौतिकशास्त्र विभाग को वापस प्रदान कर दिया जाय।


21/05/2025


21/05/2025

अ.अ.वि.क्र .05 विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी विद्यापीठ में वाटर रिसोर्सेज एण्ड इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग एवं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में एम.टेक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने संबंधी निर्गत कार्यालयीय ज्ञाप में सुधार बाबत।

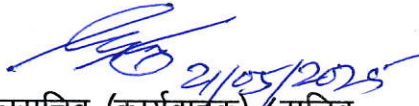
निर्णय :- विद्यापरिषद् की 21वीं बैठक दिनांक 20.04.2025 के विषय क्रमांक-6 में लिये गये निर्णयानुसार विश्वविद्यालय की अभियांत्रिकी विद्यापीठ में वाटर रिसोर्सेज एण्ड इन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग एवं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एम.टेक पाठ्यक्रम करने संबंधी कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 130/अका/2025 दिनांक 23.04.2025 द्वारा निर्गत किया गया है।

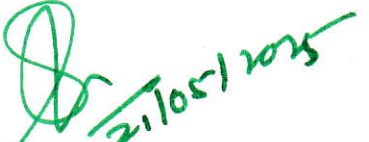
विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने यह भी निर्णय लिया कि उपर्युक्त निर्गत आदेश में त्रुटि सुधार करते हुए यह कार्यक्रम स्व-वित्तीय योजना के स्थान पर नियमित पाठ्यक्रम पढ़ा जाय एवं इस संदर्भ में संशोधित कार्यालयीय ज्ञाप जारी किया जाय।

अ.अ.वि.क्र .06 विश्वविद्यालय स्थित समस्त बालक छात्रावासों के लिए 01 चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित वाहन (एम्बुलेंस) की आवश्यकता बाबत।

निर्णय :- विद्यापरिषद् की स्थायी समिति ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावासों हेतु एक चिकित्सकीय सुविधाओं से सुसज्जित वाहन (एम्बुलेंस) क्रय की कार्यवाही की जाय। इस प्रस्ताव को वित्त समिति की आगामी बैठक में बजट प्रावधान एवं राशि आबंटन हेतु प्रस्तुत किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं उपस्थित सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक संपन्न हुई।


कुलसचिव (कार्यवाहक) / सचिव


कुलपति / अध्यक्ष